Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

नारी की स्थिति

Dr. MD. Javed Khan*

M.A. (Political Science) PhD, Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bihar

सार – ***नारी को हिन्दू समाज व्यवस्था की आधारशिला, सभ्यता का स्त्रोत, संस्कृति निर्माता एवं वैवाहिक जीवन का आधार माना जाता रहा है। आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम को सभी धर्मशास्त्रियों में श्रेष्ट माना है। वास्तव में भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति में 'अधिकार' और 'कर्तव्य' इन दो पहलुओं के कारण सदैव उतार - चढ़ाव आता रहा।***

----------X----------

विध्दा स्तास्त्व देवी भेदाः स्त्रिया समस्ता राकला जागस्तु

त्वथैकया पुरितमम्ब येतत कातै स्तुति स्तव्यपरा

पुराण का यह श्लोक इस तथ्य का साक्षी है की :--

हे देवी संसार की समस्त विधाएं तुमसे ही अवतरित हुई है तथा समस्त संपदाएं तुम्हारा ही स्वरुप है , समस्त विश्व एक तुम्ही से पूरित है अतः तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए |

नारी आदिकाल से ही समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है | बहन,बेटी,बहु,पत्नी की भूमिका से समाज में प्रेम बाँट कर सर्वांगिक परिवेश को निर्मित किया है |

नारी ही इंट से बने मकान को घर का रूप देती है और परिवार के सभी सदस्य को बाँधे रहती है | नारी बच्चों की जन्म्दात्री ही नहीं बल्कि उनकी प्रथम शिक्षिका है उनका दूध पीकर पुष्ट होकर उनकी गोद में पलते बढते है | माँ की हंसी से हँसना एवं वाणी से बोलना सीखते है| माँ से मिले संस्कार को अपने जीवन में उतारता है | नारी ने ही संत, बलि, महात्मा, त्यागी, दानी, योद्धा, वीर और बलिदानियों को जन्म दिया है | नारी प्रेम,त्याग,करुना,वात्सल्य की प्रतिमा है नारी ने अपने बच्चों के एक मुस्कान के लिए हजारों दुखों का सामना हँसते हँसते झेल जाती है और अपने खुशी की कभी भी परवाह नहीं की है |

नारी पत्नी के रूप में परिवार रूपी गाडी को चलाती है और पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर गृहस्ती जीवन को आगे बढाती है पत्नी के सहयोग से पति आगे बढता है उतना किसी के सहयोग से नहीं बढता क्यूंकि एक दुसरे के भरोषे और विश्वास पर ही प्रगति के मार्ग पर बढता जाता है | बड़े-बड़े महापुरुषों को महापुरुष बनाने में उनकी पत्नी का योगदान ही महत्वपूर्ण रहा है | नारी को समयानुसार पत्नी, माता, पुत्री, बहन, सखा, मित्र, संरक्षिका आदि की भूमिका निभानी पड़ती है जिसमें सौजन्य, उल्लास, सहिष्णुता, धैर्य, प्रेम, प्रसन्नता स्नेह जैसे गुण प्रकृति प्रदत्त होते है |

नारी ही है जो कैकयी के रूप में रथ के पहिये में अपनी ऊँगली लगाकर अपने पति की मदद करती है तो कभी सती सावित्री के रूप में सामने आती है | जिसने अपने पति सातवाँ के प्राण को भी यमराज से छीन लाती है , तो कभी सीता के रूप में राम के दुखों में समाहित हो जाती है एवं हडारानी के रूप में अपना शीश भेंट कर मोहपाश त्याग एकाग्राचित से युद्ध जितने की प्रेरणा देती है|

इसके अलावा लक्ष्मीबाई,अहिल्याबाई,चाँद बीबी, के रूप में रण क्षेत्र में जाती है एवं राजपूत वीरांगनाएं अपनी स्मिता के रक्षार्थ जौहर को स्वीकार कर अदुत्य उदाहरण पेश करती है | यही नहीं वह नारी ही है जो यशोधरा भिक्षुक को अपने एक मात्र पुत्र राहुल को भी बोद्ध धर्म में दीक्षित होने भेज देती है |

नारी ममता का दुसरा रूप है जब उसे ललकारा जाता है तब रणचंडी,दुर्गा,काली, के रूप में भी आने में देर नहीं करती| नारी कभी आम्रपाली के रूप में बोद्ध धर्म के रूप में प्रचारक बन जाती है , तो कभी मीरा के रूप में समाज को भक्ति का पाठ पढाती है , तो कभी मदर टेरेसा के रूप में मानवता का पाठ पढाया और ईसा मशीह का सन्देश आम किया, असहायों की सेवा की | मेधा पाटकर, अरुंधती राय,किरण वेदी, आदि भारतीय नारी समाज सुधारक के कार्य में लगी रही| भारतीय महिलाओं में मात्र कुछ ही प्रतिशत ही प्रगति के सोपान पर चढ़ने में सफल रही और सफलता पा रही है| आज भी देश की आधी जनसंख्याँ निरक्षरता का संताप झेलने को मजबूर है | घर,घूँघट,विवाह एवं बच्चा ही इनका जीवन बनकर रह गया

है | ये ज्यादातर कुरीतियों अंधविश्वास की शिकार है | राजस्थान, गुजरात, पंजाब दिल्ली के कन्या के भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्यां चिंता का विषय बनती जा रही है| महिलाओं के प्रति अपराधों के ग्राफ में भी तेजी आई है | अपहरण,छेड़छाड़,बलात्कार आदि घटनाएं बड़ी है घरेलु हिंसा में भी काफी बढोतरी हुई है | महिला को विकसित करने का अर्थ परिवार और समाज को विकसित करने महिला उत्थान,महिला उद्धार एवं कल्याण हेतु विधि निर्माण का दायित्व स्वाभाविक रूप से व्यवस्थापिकाओं पर आता है | इसलिए महिलाओं के संरक्षण को घ्यान में रखकर अनेक संरक्षनात्मक विधियां भारतीय संसंद में पारित करना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए | जन्म से पूर्व ही महिलाओं की संरक्षण प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ हो जता है | भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 312,314 में मध्य गर्भपात विषयक प्राव्धानान्तर्गत ऐसे गर्भपात दण्डनीय है जो स्त्री जीवन रक्षार्थ प्रयोजन न किया गया और उसकी स्वीकृति के बिना किया गया हो जुर्माना या कैद या फिर दोनों के रूप में हो सकता है | अगर गर्भपात स्त्री के जीवन को बचानेके लिए किया गया है तो यह दण्डनीय नहीं होगा| मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इस प्रकार की व्याख्या है , मुख्य रूप से गर्भपात विरोधी कानून का प्रमुख उद्देश्य बालिका भ्रूण की हत्या को रोक कर बालिका को जन्म लेने के अधिकार को सुनिश्चित करना है |

स्त्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक अन्य जघन्य अपराध सटी प्रथा रहा है जो भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति की अभिव्यक्ति करता है| पहले इस प्रथा का मुख्य कारण धार्मिक रहा , धीरे-धीरे यह प्रथा सामाजिकी कुरीतियों के रूप में स्थापित हो गई | भारतीय पुनर्जागरण के रूप में राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय विचारकों ने इस प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया तथा इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जिसके साकारात्मक परिणाम सामने आए| ब्रिटिश सरकार ने इसे निषिद्ध घोषित किया, स्वतंत्र भारत में भी सती निवारण अधिनियम 1987 के द्वारा न केवल सती हेतु निषिद्ध की व्यवस्था है बल्कि सती की प्रसंशा करने को भी दण्डनीय अपराध की कोटि में लाया गया |

अधिनियम में व्यवस्था है की अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दुष्प्रेषित करता है, तो वह मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास के दण्ड का भागीदार होगा | नियमानुसारसती प्रथा को गौरवान्वित करना या उसकी स्मृति सुरक्षित रखने हेतु मंदिर या ट्रस्ट निर्माण करना भी दण्डनीय अपराध है | नारी पर एक और रूप से अत्याचार किया जाता है जो घरेलु हिंसा के रूप में देखा जाता है, भारत में घरेलु हिंसा के नियंत्रण के लिए, घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 पारित हुआ था तथा 26 अक्टूबर 2006 से यह कानून सम्पूर्ण देश में लागू हुआ इस कानून में महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा में शारीरिक मारपीट नहीं बल्कि उत्पीड़न,भौतिक,मौखिकभावनात्मक तथा आर्थिक पक्ष के साथ-साथ महिला को घर से निर्वासित करना या निकालने की धमकी देना भी घरेलु हिंसा में शामिल किया गया है |

सरकार ने कानूनी रूप से महिला को अपने पैत्रिक मकान या ससुराल के मकान में घर के एक भाग में रहने का अधिकार दिया है | भले ही किसी महिला को अपना वैवाहिक गृह में स्वामित्वाधिकार हो या ना हो उसे वहां रहने का अधिकार होगा जो किसी दण्डाधिकारी के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा बल्कि यह कानून एक प्रगतिवादी कदम है जिससे घरेलु हिंसा में राहत मिलेगी |

निष्कर्ष

अर्थात जिस राष्ट्र में जिस देश में मातृशक्ति का सम्मान होता है वह राष्ट्र समृद्धिकी ओर अग्रसर होता है भारत में सदियों से सम्मान मिला है और यही कारण है की देवतागण भी भारतभूमि पर आने लको लालाहित रहते है |

अतः महिलाओं की उचित भागीदारी के अभाव में कोई समाज , राज्य एवं राष्ट्र के विकास की सम्पूर्ण कल्पना करना संभव नहीं है , क्यूंकि इनके विकास में ही सामाजिक विकास सन्निहित है | संविधान में स्त्री को पुरुष के समक्ष रखकर उन्हें विकास का समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है | राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है |

सन्दर्भ सूचि

(1) महिलाएं कितनी आजाद पृ० ---------- 31

(2) अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य नियोजन संस्थान उ० प्र० वर्ष 2004 , पृ०----------5

(3) आशु रानी महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिकर्स, जयपुर

(4) नारायणी प्रकाश नारायण एवं ज्योति गौतम लिंग एवं समाज , रिसर्च पब्लिकेशन्स , जयपुर , नई-दिल्ली

(5) आहूजा राम एवं मुकेश अहुजा , विवेचनात्मक अपराध शास्त्र , रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ०----------389

(6) यूनिसेफ, यूनाईटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड पॉवर्टी रिडक्शन विगन्स विद चिल्ड्रेन, न्यूयार्क, मार्च 2000 पृ०---1

(7) यजुर्वेद ------- 23/27

Corresponding Author

Dr. MD. Javed Khan*

M.A. (Political Science) PhD, Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bihar